* <u>आकाशवाणी गोरखपुर</u>

<u>प्रादेशिक समाचार</u>

<u>दिनांक–02 जुलाई 2024</u> **7:20 AM**

पहले मुख्य समाचार।

- उत्तर प्रदेश सहित देशभर में लागू हुए नये आपराधिक कानून : गृहमंत्री अमित शाह ने नए कानूनों के अंतर्गत जल्द सुनवाई और न्याय की गारंटी का दिया भरोसा।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बाढ़ से निपटने के तैयारियों की समीक्षाः कहा–बाढ़ से बचाव के लिए बेहतर तालमेल और त्वरित कार्रवाई आवश्यक।
- राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पुनः परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों के संशोधित परिणाम किये घोषित। नए नतीजों के बाद परीक्षार्थियों की रैंक भी हुई संशोधित।
- प्रदेश के अधिकांश जनपदों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज 23 जनपदों में मेघ गर्जना के साथ भारी बारिश की जारी की चेतावनी।

****

उत्तर प्रदेश सहित देश भर में तीन नये कानून– भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कल से लागू हो गये हैं। इन कूननों के तहत कोई भी व्यक्ति पूरे देश के अंदर कहीं से भी मुकद्मा दर्ज करा सकता है, साथ ही ये नये कानून, एफआईआर दर्ज होने, पुलिस जांच और अदालती प्रक्रियाओं की एक समय सीमा निर्धारित करने के साथ प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी बल देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा कि तीनों आपराधिक कानूनों से देश में सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकाचार में अंतर्निहित ये नई व्यवस्था अब पूरी तरह से स्वदेशी है।

आजादी के 77 साल बाद हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णता स्वदेशी हो रही है और भारतीय एथोस के आधार पर ये चलेगी। ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे। तब दंड की जगह न्याय मिलेगा। देरी की जगह ईवी ट्रॉयल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा और पहले से ही पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी। अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कम्प्लेनर है उसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा।

श्री शाह ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि नए कानून त्वरित न्याय और पीड़ितों के अधिकार सुनिश्चित करेंगे।

सबसे पहली प्रॉयोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है, जिसमें 35 धाराएं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास–आजीवन कारावास, नाबालिंग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर या अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में भी मिलने का प्रावधान किया है।

गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ राजद्रोह कानून को खत्म कर नए प्रावधान लागू किए हैं। नये कानूनों को देखते हुए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने मौजूदा अपराध और अपराध ट्रेकिंग नेटवर्क और प्रणालियों में 23 संशोधन किये हैं।

वहीं प्रदेश में नये कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रामपुर, एटा, हमीरपुर, अमरोहा, मिर्जापुर, हापुड़, बाराबंकी, उन्नाव, वाराणसी के साथ ही अन्य जिलों के पुलिस थानों में जागरूकता अभियान चलाया गया। अयोध्या में कोतवाली नगर में आयोजित जागरूकता अभियान में आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि लोगों को नये कानूनों के बारे में जानकारी हो सके, इसलिये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

****

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील जिलों की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई है। इस वर्ष भी बेहतर तालमेल, त्वरित कार्रवाई और बेहतर प्रबन्धन से बाढ़ की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। प्रदेश में अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ की आपात स्थिति के लिये पर्याप्त रिजर्व स्टॉक एकत्रित कर लिय जाए।

मुख्यमंत्री ने कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ प्रबंधन और जन–जीवन की सुरक्षा को लेकर तैयारियों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि बाढ़ ग्रस्त स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश और जरूरी उपकरणों का भी प्रबन्ध होना चाहिए। जल शक्ति मंत्री एवं दोनों राज्य मंत्री अति संवेदनशील तथा संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण करें, साथ ही बाढ़ बचाव से जुड़ी परियोजनाओं का निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तर और जिला स्तर पर बाढ़ राहत कंट्रोल रूम 24 घंटे सातों दिन एक्टिव मोड में रहें। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय द्वारा बाढ़ से प्रभावित जनपदों में 113 बेतार केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरे मॉनसून अवधि में यह केंद्र हर समय एक्टिव रहें।

****

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा अयोध्या में विस्थापितों को लेकर दिए गए भ्रामक बयान पर करारा पलटवार किया है। श्री योगी ने कहा कि राहुल गांधी का बयान यूपी और अयोध्या को बदनाम करने के लिए दिया गया है। सदन में दिया गया राहुल गांधी का बयान झूठा और निंदनीय है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में विभिन्न विकास कार्यों के दौरान विस्थापित हुए लोगों को एक हजार सात सौ तैंतीस करोड़ रूपये का मुआवजा दिया गया है। मुख्यमंत्री कल शाम को अपने आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे।

****

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी – एनटीए ने पुनः परीक्षा के बाद कल एक हजार 563 परीक्षार्थियों के संशोधित परिणाम घोषित कर दिए। नए नतीजों के बाद एनटीए ने सभी परीक्षार्थियों की रैंक भी संशोधित की है। एनटीए के अनुसार पात्र एक हजार 563 परीक्षार्थियों में से 813 परीक्षार्थियों ने दोबारा परीक्षा दी। सभी परीक्षार्थियों के संशोधित स्कोर कार्ड वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। परीक्षार्थी मगंउेण्दजंण्बण्पदध्छम्म्ळ पर लॉगइन करके संशोधित स्कोर कार्ड देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक हजार 563 परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा लेने का निर्देश दिए जाने के बाद पिछले महीने की 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी। इन परीक्षार्थियों को मूल परीक्षा में अनुग्रह या प्रतिपूरक अंक दिए गए थे। इन्हें विकल्प दिया गया था कि वे या तो दोबारा परीक्षा में शामिल हों या अनुग्रह अंक के बिना अपने मूल अंकों को रखें।

उधर, गुजरात में नीट–यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने एक निजी स्कूल के मालिक को गिरफ्तार किया है। यह स्कूल उन परीक्षा केंद्रों में से एक था, जहां 5 मई को नीट–यूजी परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या 6 हो गई है।

****

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों के निपटारे के लिए 100 दिनों की कार्य योजना शुरू की है। इसी के तहत एक माह का विशेष अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान में 46 मंत्रालय और विभाग भाग लेंगे। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने कहा, महिलाओं के लिए पारिवारिक पेंशन योजना में किये गये संशोधन सकारात्मक प्रतीत होते है। उन्होंने कहा, कि पहले, तलाकशुदा महिलाएं पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य थीं। संशोधित दिशानिर्देशों में साक्ष्य के रूप में रिट याचिका प्रस्तुत करने पर महिलाएं अब पारिवारिक पेंशन की हकदार हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि वर्तमान में, केंद्रीकृत पेंशन शिकायत और निवारण प्रणाली पर एक वर्ष में लगभग 90 हजार मामले दर्ज किए जा रहे हैं। शिकायतें सीधे आवेदक द्वारा पोर्टल चहचवतजंस.हवअ.पद पर या विभाग द्वारा ई–मेल, पोस्ट या टोल फ्री नंबर 1800–11–1960 के माध्यम से विवरण प्राप्त होने पर दर्ज की जा सकती हैं।

****

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि परीक्षा के लिए आवेदन माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट नचउेचण्मकनण्पद पर होगा। घोषित समय सारिणी के अनुसार पांच अगस्त तक स्कूलों के माध्यम से 10वीं और 12वीं के बच्चों के परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। विलंब शुल्क के साथ 16 अगस्त तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके बाद विद्यालय को फॉर्म भरने की अन्य प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करनी होगी। आवेदन में कोई गलती न हो, इसकी जांच के लिए 21 से 30 अगस्त तक का समय दिया गया है।

****

प्रदेश में मानसून के सक्रिया होने के बाद से विभिन्न जनपदों में गरज चमक के साथ हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद और गोण्डा सहित 23 जनपदों में आज मेघ गर्जना के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग ने आज और कल बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

****